

# फर्द अहकाम

बनाम चौमप्रमेश

स्थान लय ACM ऑफिस

या 48/13

क्रमा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>गया। सा.पत्र आपसि कुर्जात प्रकरण में इसी करने की जरूरत से पेश किया गया है। अतः सा.पत्र आपसि कुर्जात स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सा.पत्र आपसि कुर्जात खारिज किया जाता है। सा.पत्र प्रकरण में अतिरिक्त सं. 29 ड के मुलाखित कुर्जात रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त डिक्री क्रिये जाते हेतु निवेदन किया। पत्रावली 9 कुर्जात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुलाखित कुर्जात रिपोर्ट वाड की अतिरिक्त डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मुलाखित कुर्जात रिपोर्ट वाड अतिरिक्त डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय प्रकरण से लिखवाया जाकर शीघ्र क्रि० किया गया। अतिरिक्त डिक्री जारी है। पत्रावली कुलल सुभार हेतु दर्ज नमूने से कर से लया जायित दफ्तर से।</p>	
		<p>सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर)</p>	

**डिक्री मुकदमा इबतदाई**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)**  
पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

रणजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री दौलत सिंह, उम्र 36 वर्ष लगभग, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. और प्रकाश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जाति बांहम्ण, निवासी छोटगुड़ा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. अजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री दौलत सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. श्यामसिंह पुत्र स्व0 श्री बालूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

**वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

मुकदमा नम्बर :-48/2013

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नं0 910 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नं0 911 रकबा 0.05 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 20.03.2023 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

1. अजीतसिंह पुत्र दौलतसिंह हिस्सा 1/2 बिलारहन, रणजीतसिंह पुत्र दौलतसिंह हिस्सा 1/2 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा गोविन्दगढ़ मूर्तहीन, जाति राजपूत सा0 देह

खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 910/1 रकबा 0.09 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।

2. श्यामसिंह पुत्र बालूसिंह, जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 910/2 रकबा 0.09 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है।
3. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति ब्राह्मण सा0 देवगुड़ा खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 910/3 रकबा 0.09 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।
4. अजीतसिंह पुत्र दौलतसिंह हिस्सा 1/6 बिलारहन, रणजीतसिंह पुत्र दौलतसिंह हिस्सा 1/6 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा गोविन्दगढ़ मूर्तहीन, श्यामसिंह पुत्र बालूसिंह, जाति राजपूत हिस्सा 1/3 सा0 देह, ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा0 देवगुड़ा खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 910/4 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 911 रकबा 0.0500 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में नीले रंग से रास्ते में दर्शायी गई है। उक्त आराजी खसरा नम्बरान को रास्ते में दर्ज किया जावे।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 01.05.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्ताखत  
सहायक कलेक्टर  
आहदा  
चौमू (सबपुर)

### वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	3
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	6	जोड़	3

सहायक कलेक्टर  
चौमू (सबपुर)

## न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

रणजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री दौलत सिंह, उम्र 36 वर्ष लगभग, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. औम प्रकाश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जाति बांहम्ण, निवासी छोटगुढा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. अजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री दौलत सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. श्यामसिंह पुत्र स्व0 श्री बालूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

### वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:-01.05.2024


पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरीकेन उपस्थित। तहसीलदार चौमूं से वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल है। प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रैजात पर बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 20.03.2023 के वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रैजात का महज प्रकरण में देरी करने की गरज से पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रैजात का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रैजात का खारिज किया जाता है। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 20.03.2023 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में

सहायक कलक्टर  
चौमूं (जयपुर)

स्थित खसरा नं0 910 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नं0 911 रकबा 0.05 हैक्टेयर, कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:-

1. अजीतसिंह पुत्र दौलतसिंह हिस्सा 1/2 बिलारहन, रणजीतसिंह पुत्र दौलतसिंह हिस्सा 1/2 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा गोविन्दगढ़ मूर्तहीन, जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 910/1 रकबा 0.09 है0, कुल कित्ता 1 का कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
2. श्यामसिंह पुत्र बालूसिंह, जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 910/2 रकबा 0.09 है0, कुल कित्ता 1 का कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है।
3. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति ब्राह्मण सा0 देवगुढ़ा खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 910/3 रकबा 0.09 है0, कुल कित्ता 1 का कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।
4. अजीतसिंह पुत्र दौलतसिंह हिस्सा 1/6 बिलारहन, रणजीतसिंह पुत्र दौलतसिंह हिस्सा 1/6 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा गोविन्दगढ़ मूर्तहीन, श्यामसिंह पुत्र बालूसिंह, जाति राजपूत हिस्सा 1/3 सा0 देह, ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा0 देवगुढ़ा खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 910/4 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 911 रकबा 0.0500 है0, कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में नीले रंग से रास्ते में दर्शायी गई है। उक्त आराजी खसरा नम्बरान को रास्ते में दर्ज किया जावे।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।  
निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
चौमूर (जिलापुर)